

अपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-84/2023-24

BANK OF INDIA

बनाम्

M/S VIJAY LAXMI ENTERPRISES

—: आदेश :—

30.04.2024

प्राधिकृत पदाधिकारी, BANK OF INDIA, ST. XAVIER SCHOOL BRANCH, BOKARO के द्वारा धारा-14 (1) and (2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी M/s Vijay Laxmi Enterprises Prop. Ravi Kant Tiwari S/o Narad Muni Tiwari 2. Shri Mantosh Kumar Tiwari S/o Narad Muni Tiwari Both resident of Bhojpur Colony, Chas, Bokaro, Jharkhand- 827013 के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष BANK OF India की ओर से दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी निम्नांकित सम्पत्ति (1. All that part and parcel of th property consisting of Mouza Chas Plot No. 6275, 6286, Thana Survey No. 30, Khata No. 360 Area 4.00 decimals of land in the name of Mr. Ravi Kant Tiwari and Mr. Mantosh Kumar Tiwari, Title Deed No. 4783, 4784 2. Stock of FMCG Products) को गिरवी रखते हुए बैंक से 9,00,000.00 (नौ लाख) रुपये ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-31.08.2012 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। दिनांक-22.05.2013 तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 8,95,637/- के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक

के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी को भेजा गया नोटिस बिना तामिला के वापस प्राप्त है।

ऐसी स्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, अभिलेख में संधारित कागजात के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि बैंक के द्वारा विपक्षी से ऋण की वापसी के लिए SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। बावजूद इसके विपक्षी के द्वारा बकाया ऋण की राशि के वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जो उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, BANK OF INDIA, ST. XAVIER SCHOOL BRANCH, BOKARO द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।